फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भगवानलाल बनाम विपक्षी श्री नारायणलाल

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम पत्रावली संख्या 03/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक 06.08.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 1 अनुपस्थित। आवाज दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे बताया की प्रार्थनागस्त आराजीयात संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक भूमि है जो हमारे मौरूसी रता जी के वक्त से चली आ रही है। मुल पुरूष रता जी के दो पुत्र नारायण लाल एवं सुखलाल हुये एवं तीन पुत्रीया हगामी बाई, भंवरी बाई, छगनी बाई हुई। विपक्षी संख्या 1 नारायण लाल के एक पुत्र भगवान लाल एवं तीन पुत्रीया लक्ष्मी, आशा, गीता है। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थीगण के रिश्ते मे पिता लगते है। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनागस्त भूमि मौरूसी होकर इस भूमि मे प्रार्थीगण का जन्म से ही हक अधिकार निहित है। विपक्षी संख्या 1 के नाम हिस्से से अधिक अंकित होने से विपक्षी संख्या 1 प्रार्थनागस्त भूमि मे प्रार्थीगण के हिस्से को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। जिससे प्रकरण मे मुल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण मे प्रथम दृष्टया हमने पाया की प्रार्थी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया तथा उसी के साथ प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थनागस्त भूमि पैतृक भूमि है। जिसमे प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा निहित है। प्रार्थी द्वारा यह कथन कहना कि प्रार्थनागस्त भूमि पैतृक भूमि है ? इस कथन को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थीगण के रिश्ते में पिता लगते हैं। प्रार्थीगण का यह कहना है कि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थीगण को बेदखल करने व हिस्से से अधिक भूमि को बेचान करने पर आमादा है जिसे विपक्षी को पाबन्द किया जाना उचित प्रतित होता है जिससे किसी प्रकार के मौका व रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं। उपरोक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे निर्णित किये जाने से मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है जिससे किसी प्रकार के मौके व रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है कि मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का बडगांव भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बडगांव तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत 2078–81 की परिशिष्ट (क) खाता संख्या नया 336 की आराजी नंबर 1349, 1353, 1354, 1355, 1356 कुल किता 5 रकबा 1.6000 है. भूमि, परिशिष्ट (ख) खाता संख्या नया 337 की आराजी नंबर 1612, 1613, 1414 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1917, 1918, 1968, 1971, 1972 कुल किता 13 रकबा ? 6500 है., परिशिष्ट (ग) खाता संख्या नया 338 की आराजी [illegible] 1970 कुल किता 1 रकबा 0.2700 है. भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके [illegible] राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:36:54 IST
Reason: SelfAttested